राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

एफ1( )बीप्रसं/भण्डार/2013/556 दिनांक 22.04.2013

निविदा सूचना

संस्था द्वारा प्रमाणित व आधार टैग तथा अन्य स्टेशनरी सामान राज्य में स्थित यूनिटस कार्यालयों को भिजवानें हेतु ट्रांसपोर्टर/कार्गो एजेन्सी से खुली निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं :–

क्र. सं.	स्थान का नाम	वर्षभर भिजवायें जाने वाले पैकिटों की मात्रा	अनुमानित टैन्डर राशि	निविदा प्रपत्र	बयाना राशि
1	श्रीगंगानगर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, खेरली, अलवर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, चित्तौड़गढ, हनुमानगढ़, घड़साना, अजमेर, बासंवाड़ा	700–800 40 किलों वजन लगभग प्रति पैकिट	60,000/–	200/–	1200/–

निविदा की अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र में अंकित है तथा निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से कार्य समय में दिनांक 10.05.2013 दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तकनीकी निविदायें उसी दिन सांय 3.00 बजे तक प्राप्त कर सांय 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगें। वित्तीय निविदा उन्ही निविदादातओ की खोली जावेगी जिनकी तकनीकी निविदा सही पाई जावेगी। उक्त निविदा की विस्तृत शर्तों को राजस्थान सरकार एवं कृषि विभाग जयपुर की वेब साइट पर **"tender @rajasthan gov.in" /"www.rajasthankrashi.gov.in "** पर देखा जा सकता हैं।

निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, तृतीय तल, पंत कृषि भवन,जनपथ, जयपुर

अंतिम तिथि – 10.05.2013

तकनीकी निविदा प्रपत्र

ट्रांसपोर्टर/कार्गो एजेन्सी से दर का अनुबंध करने के लिए खुली निविदा।

1. वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है, प्रमाणित व आधार टैंग एवं अन्य स्टेशनरी सामान राज्य में स्थित यूनिटस कार्यालयों को भिजवानें हेतु दर का अनुबंध करने बाबत्।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता मय टेलीफोन /मोबाईल नंबर
   .....
   .....
3. किसको संबोधित किया गया – निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन जयपुर –
   फोन न0. *0141–2227104, 2227315*
4. संदर्भ निविदा सूचना कमांक दिनांक
5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– नकद रसीद/डी0डी0संख्या .....दिनांक .....के द्वारा जमा करा दी गई है ।
6. मैं/हम निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 556 दिनांकः 22.04.2013 में वर्णित सभी शर्तो से तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है , जिनको हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।
7. भिजवायें जाने वाले स्थानों का नाम इस प्रकार हैं :–

क्र.सं.	स्थान का नाम	वर्षभर भिजवायें जाने वाले पैकिटों की मात्रा
1	श्रीगंगानगर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, खेरली, अलवर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, चित्तौड़गढ, हनुमानगढ़, घड़साना, अजमेर, बासंवाड़ा	700–800 40 किलों वजन लगभग प्रति पैकिट

8. भिजवायें जाने वाले कट्टे/पैकिटों में वजन लगभग 40 किलो के आस–पास होगा

9. भिजवायें जाने वाले कट्टे/पैकिटों, पंत कृषि भवन के स्टोर भूतल से प्राप्त करने होगें।

10. दरें समस्त करो सहित एफ0ओ0आर0 यूनिटस कार्यालय होगी। तथा वित्तीय वर्ष 2013–14हेतु मान्य होगी ।

11. माल कार्यालय से प्राप्त कर उसी दिन भिजवाया जाना होगा। जिसकी प्राप्ति रसीद (जी.आर) उसी दिन देनी होगी।

12. भिजवायी जाने वाले पैकिट/कट्टे निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के लगभग अनुरूप होगें। भिजवायें जाने वाले पैकिटों की संख्या घट–बढ़ भी सकती है।

13. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .....दिनांक .....रूपये. ..... के लिये बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है ।

14. बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते है ।

15. विनिर्माता का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है। (एस–आर–11)

हस्ताक्षर निविदा दाता (फर्म की मोहर)

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,
तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

अंतिम तिथि – 10.05.2013

वित्तीय निविदा प्रपत्र

ट्रांसपोर्टर/कार्गो एजेन्सी से दर का अनुबंध करने के लिए खुली निविदा।

1 वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है :– प्रमाणित व आधार टैंग एंव अन्य स्टेशनरी सामान राज्य में स्थित यूनिटस कार्यालयों को भिजवानें हेतु दर का अनुबंध करने बाबत्।

2 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता मय टेलीफोन /मोबाईल नंबर
.....
.....

3. किसको संबोधित किया गया – निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन जयपुर
फोन न0. *0141–2227104, 2227315*

4. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक .....दिनांक .....

5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– नकद रसीद/डी0डी0संख्या ..... दिनांक .....के द्वारा जमा करा दी गई है ।

6. मैं/हम निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 556 दिनांक 22.04.2013 में वर्णित सभी शर्तो से तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है , जिनको हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

7. भिजवायें जाने वाले पैकिट/कट्टे की दर इस प्रकार है :–

क्र.सं.	स्थान का नाम	वर्षभर भिजवायें जाने वाले पैकिटों की मात्रा	दर प्रति पैकिट समस्त करों सहित
1	श्रीगंगानगर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, खेरली, अलवर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, चित्तौड़गढ, हनुमानगढ़, घड़साना, अजमेर, बासंवाड़ा	700–800 40 किलों वजन लगभग प्रति पैकिट	

हस्ताक्षर निविदा दाता (फर्म की मोहर)

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

खुली निविदा के लिये निविदा की शर्ते एवं नियम अंतिम तिथि 10.05.2013

1. तकनीकी व वित्तीय निविदाएं दो अलग–अलग लिफाफे में सील बन्द कर स्पष्टरूप से लिफाफे पर लिखकर फिर एक साथ दूसरे लिफाफे में अलग से बन्द कर प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी बिड लिफाफे में निम्न दस्तावेज रखे जाने चाहिए । इन दस्तावेजो के आधार पर ही पात्रता निर्धारित की जायेगी। जो निविदा दाता तकनीकी बिड में सफल पाये जायेगें,उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी।

   तकनिकी निविदा के लिफाफे में रखने वाले दस्तावेजो का विवरण

   1. बयाना राशि का डीडी/नगद राशि जमा की मूल रसीद
   2. एस आर प्रारूप 11 में निर्माताओं द्वारा की गई घोषणा पत्र
   3. बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति
   4. सबंधित सर्किल के वाणिज्य कर अधिकारी से प्रमाणित बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र
   5. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए ।

   नोट– उपरोक्त दस्तावेजो के अभाव में वित्तीय निविदा को नहीं खोला जायेगा तथा निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दर को शामिल नहीं किया जावेगा ।

2. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में डी.डी. या नकद जमा की मूल रसीद आवश्यक रूप से सलग्न की जावें जिसके अभाव में निविदा पर विचार करना सम्भव नही होगा।

3. वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में दर प्रति नग अलग–अलग स्थानों के लिए अलग–अलग या एक ही दर सभी स्थानों के लिए प्रस्तुत की जा सकती है।

4. वास्तविक निर्माता द्वारा निविदाऐंः– निविदाऐं मालों के वास्तविक निर्माता द्वारा दी जाएगी अतः वे एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा प्रस्तुत करेगें।

   (1) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नये भागीदारो को ठेकेदार द्वारा फर्म में तबतक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगी।

5. बिक्रीकर पंजीयन व शोधन प्रमाण पत्रः– कोई भी निर्माता जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है यदि राज्य में प्रचलित बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नही देगा। बिक्रीकर पंजीयन संख्या का उल्लेख अत्यावश्यक हैं तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिकर कर अधिकारी से बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे तथा इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
6. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दरें मुख्यालय जयपुर **consignee store** जिस में उत्पाद शुल्क, बिक्री कर एवं **VAT** पृथक से प्राप्ती के लिये दर्शायी जानी चाहिये। इसमें चुंगी एवं स्थानीय करों की राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
8. निविदादाता द्वारा दी गई दरों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु राज्य के बाहर की फर्म की दरों में केन्द्रीय बिक्री कर शामिल किया जावेगा और राज्य की फर्मो का **RST/VAT** शामिल नहीं किया जावेगा, परन्तु राज्य की फर्मो की तुलना में बिक्रीकर की राशि को दरो में शामिल किया जावेगा।
9. मूल्य अधिमानः मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विर्निमित मालो की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगो को अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार दी जायेगी।
10. विधिमान्यताः– निविदाऐं उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नही सोपेगा या सबलेट पर नहीं देगा।
12. प्रदाय की गई सभी वस्तुएँ/सेवाएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी।
13. प्रदाय की जाने वाली सामग्री/सेवाएं का विधिवत निरीक्षण क्रेता अधिकारी द्वारा नियुक्त कमेटी से किया जा सकेगा।
14. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
15. परीक्षण प्रभारः– परीक्षण प्रभार संस्था द्वारा वहन किये जाएगे, यदि क्रेता संस्था अपने स्तर पर परीक्षण करवाती हैं। परीक्षण परीणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसिफिकिशन के अनुसार नहीं है ता परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगे।

16. रदद करना – निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं/सेवाएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रदद किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निशिचित किये गये समय के भीतर अपनी स्वय की लागत पर बदला जाएगा।

17. (2) तथापि यदि संस्था कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना आवश्यक नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा । इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

18. रदद् की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रदद करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के अंदर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।

19. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके किसी प्रकार की हानि, क्षति या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जाँच निरीक्षण किये जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

20. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी को संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं तो निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

21. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

1- सुपुर्दगी अवधिः निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी वह सप्लाई आदेशों के अनुसार निशचित अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

2- मात्रा की सीमाः– आदेश को फिर से देनाः यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने केलिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तों पर दिये जा सकेगे, परंतु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मुल रूप में खरीदी गई मात्रा को 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिये ही होंगे। तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई

की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिये स्वतंत्र हेगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

3- यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

22. बयाना राशि :—

(क) तकनीकी निविदा के साथ बयाना राशि नियमानुसार प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा। यह राशि राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रामाणीकरण संस्था, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिये।

1. नकद —
2. शिडयूअल बैंक का बैक ड्राफट /बैकर्स चेक

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :— असफल निविदा दाता को बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटाई जाएगी।

(ग) बयाना राशि से छूट — बयाना राशि लघु उद्योगों केलिए उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मूल्य का 1/2 प्रतिशत राशि होगी, रूग्ण इकाईयों केलिए यह राशि 1 प्रतिशत एवं अन्य केलिए बयाना राशि अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत मुल्य के बराबर होगी। उन फर्मो को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदो के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मुल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं। यदि वे स्वयं द्वारा उत्पादित माल की निविदा देते है ।

(ड) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रदद की गई या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नही किया जाएगा यथापि यदि निविदाओ को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

23 बयाना राशि का समपहरणः बयाना राशि को निम्न मामलों में समपृहत कर लिया जाएगा :—

1- जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताब को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता हैं।

2- जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

3- जब निविदादाता विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की आपूर्ति प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

24. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः—

1. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकार करने की सूचना प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिये निविदाए स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

   लघु उद्योगों के लिए उनके द्वारा आदिष्ठ मात्रा का 1 प्रतिशत एवं रूग्ण इकाई के लिए 2 प्रतिशत होगी, अन्य के लिए अनुमानित मुल्य का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि देय होगी।

   राज्य के बाहर की कोई विनिर्माता की दर न्यूनतम आती है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.1.99 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके अनुसार राज्य की फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी व 20 प्रतिशत राज्य के बाहर की न्यूनतम दर दाता को आपूर्ति आदेश दिये जायेगें एवं 80 प्रतिशत राज्य के न्यूनतम दर दाता को आदेश दिये जायेगें ।

2. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें।
   1. नकद/बैक ड्राफट/बैकर्स चैक
   2. डाकघर बचत बैक पास बुक्स जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।
   3. अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र व डिफेन्स सेविंग प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता है। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।
5. एक समय खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अंतिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिये सविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के बाद या गारंटी की अवधि, यदि हो, के समाप्त हो जाने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकाया नही है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

1. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगाः

(क)जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलें में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करनें एवं उस पर स्टांप लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टांपशुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

25. बीमा :–

1. सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएगें यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ , मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी ।
2. यदि क्रेंता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

26. भुगतान :–

1. संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।
2. जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगे ।
3. विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने के जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिये जाएगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुसार होगें ।
5. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा

1. परिनिर्धारित क्षति— परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वुद्धि करने के मामलें में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :—
   (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए 2½ %
   (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 %
   (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7½ %
   (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलंब के लिए 10 %

6. विलंब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा । परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।

   यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आवेदन दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने के तुरंत बाद करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

27. वसूलियॉ :

   परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी । कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोकी जो सकेगी तथा सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसको देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

28. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

29. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो ।

30. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक क लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म /सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदो को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

31. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक प्रमाणित प्रति
2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
3. एक मात्र स्वामित्व के मामलें में आवास, एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर
   कंपनी के मामलें में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र

31. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलें को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में आने वाले अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ती करेगा यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा ।

32. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा (संस्था या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी। अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure -S.R11

I/We declare I am/we are bonafide Manufacturers in the equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to an other action that may be taken my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer